झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की इकाई)

प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स (प्रशिक्षण केन्द्र), बलीहार रोड, मोराबादी, राँची।

दूरभाष संख्या– 0651–2552088

झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी (JTDS) के निदेशक मंडल की दिनांक 24/09/2025 को 11.00 बजे अपराहन् में सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, JTDS की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. श्री कृपा नन्द झा, भा0प्र0से0, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰।
2. श्री नेलसम एयोन बागे, भा0प्र0से0, राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी –सह– सदस्य सचिव।
3. श्री करमा जिम्पा भुटिया, भा0व0से0, विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. श्री कुलदीप चौधरी, भा0प्र0से0, आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार।
5. श्रीमती अंजली यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त, गोड्डा।
6. श्रीमती कंचन सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त, सिमडेगा।
7. श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा0प्र0से0, उपायुक्त, लातेहार।
8. श्री दिलेश्वर महतो, झा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, उपायुक्त गुमला के प्रतिनिधि।
9. श्री संजय भगत, परियोजना निदेशक, ITDA, उपायुक्त राँची के प्रतिनिधि।
10. श्री करमा जिम्पा भुटिया, भा0व0से0, निदेशक, डा0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान।
11. श्री पुनय उराँव, अध्यक्ष, ग्राम सभा परियोजना क्रियान्वयन समिति, ग्राम–डुम्बो, प्रखण्ड– भरनो, जिला– गुमला (जनजातीय सदस्य)।
12. श्रीमती बिनीता खेस, अध्यक्ष, रौशनी महिला मंडल ग्राम– कोरन्दाजोर, प्रखण्ड– भरनो, जिला– गुमला (जनजातीय सदस्य)।

- (क्रम संख्या 05 से 09 तक के सदस्यों द्वारा Video Conferencing के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया)

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश राज्य परियोजना निदेशक को दिया गया।

<u>प्रस्ताव एवं चर्चा उपरांत निर्णय</u> :–

एजेंडा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
1.	दिनांक 12.08.2024 को आहूत बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन की सम्पुष्टि।	निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुपालित बिन्दुओं की सम्पुष्टि की गई।
2.	**JTDS द्वारा किए जा रहे कार्यों की कार्य प्रगति की समीक्षा।** JTDS द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित योजना CCD योजना अंतर्गत PVTGs परिवारों के साथ Targeting Hardcore Poor Project (THP), मधुमक्खी पालन, सूकर पालन एवं बत्तख पालन संबंधित कार्य सभी 14 TSP जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न। इन कार्यों के साथ–साथ JTDS द्वारा अभिसरण के माध्यम से सभी 14 TSP जिला इकाइयों के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही NABARD के द्वारा प्रायोजित FPO चार जिलों यथा गुमला, सिमडेगा, लातेहार एवं गोड्डा क्रियान्वित में किया जा रहा है। उक्त कार्यों के अलावे डॉ. रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समुदायों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन परियोजना–अध्ययन हेतु कार्य किया गया है। विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न।	शेष कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि JTDS का Procurement Policy नहीं है तो झारखण्ड सरकार का Procurement Policy का अनुसरण किया जाए। Board को बताया गया कि JTDS का Procurement Policy है।
3.	**JTDS में कार्यरत कर्मियों का सेवा विस्तार।** JTDS अंतर्गत संचालित 01 SPMU एवं 14 DPMU कार्यालयों में कार्यरत 71 कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है।	निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर एक वर्ष की अवधि विस्तार हेतु (दिनांक 01 जुलाई,2025 से 30 जून,2026 तक) स्वीकृति प्रदान

	पूर्व में जे0टी0डी0एस0 कर्मियों का सेवा विस्तार 01 जुलाई,2023 से 30 जून,2024 एवं पुनः 01 जुलाई,2024 से 30 जून, 2025 तक की अवधि के लिए जे0टी0डी0एस0 निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः दिनांक–23.05.2023 एवं 12.08.2024 को आहूत निदेशक मंडल की बैठक में की गई है। पूर्व की भाँति पुनः दिनांक–01 जुलाई,2025 से 30 जून,2026 तक की अवधि के लिए कार्यरत कर्मियों का सेवा विस्तार किया जा सकता है। ज्ञात हो कि कार्यरत कर्मियों के वेतनादि एवं कार्यालय संचालन कार्य हेतु जे.टी.डी.एस. को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ज्ञात हो कि सभी कार्यरत कर्मीगण अनुभवी एवं उच्च अहर्ता प्राप्त हैं जिन्हें विगत कई वर्षों का आदिवासी समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। अतः JTDS में कुल स्वीकृत–106 पदों के विरूद्ध वर्त्तमान में कार्यरत 71 कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष तक करने का प्रस्ताव है। सभी कार्यरत कर्मियों के कार्य प्रदर्शन का आकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 के उपरांत राज्य परियोजना निदेशक के स्तर से किया गया है एवं कार्य प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया है। किसी भी कर्मी पर वर्त्तमान में किसी प्रकार अभियोग नहीं पाया गया है। (कर्मियों की सूची संलग्न)	की गई।
4.	**विभाग अंतर्गत बजट–2025–26 में प्रावधानित/अनुमोदित अनुसूचित जनजाति के Livelihoods से संबंधित योजनाओं को JTDS के माध्यम से क्रियान्वयन पर निर्णय एवं राशि का आवंटन।** वर्ष 2002 में झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी (JTDS) की स्थापना मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय एवं PVTGs की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। JTDS का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी को उनके पास उपलब्ध विभिन्न आजीविका विकल्पों एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन (जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर) के समेकित विकास के प्रति प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत JTDS द्वारा कई	आदिवासी कल्याण आयुक्त एवं SPD को निदेश दिया गया कि Income Generation and Livelihood Development गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आगे की कार्य योजना तैयार किया जाय एवं इसे विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाए। Grant under Article 275(I) हेतु JTDS द्वारा समर्पित योजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

	योजनाएं सफलता पूर्वक पूर्ण की गई है। **JTDS के अनुभव को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित विभागीय कार्ययोजना एवं बजट अंतर्गत कुछ गतिविधियों / कार्यों जिसे JTDS को आवंटित किया जा सकता है।** इस संबंध में JTDS द्वारा पत्रांक–JTDS/1203/2025/189 दिनांक–26.06.2025 के माध्यम से आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार को अनुरोध किया गया है (संलग्न)। उपरोक्त सभी संबंधित योजनाओं को JTDS के माध्यम से क्रियान्वयन एवं राशि आवंटन पर निर्णय का प्रस्ताव है।	साथ ही विभाग अंतर्गत अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अनुरोध पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।
5.	**Tribal Livelihood Development Program (TLDP) एवं Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project (JTELP-Phase-II) योजना के स्वीकृति हेतु समर्पित प्रस्ताव पर चर्चा।** **JTDS द्वारा विभाग को दो नये प्रस्ताव समर्पित किया गया है जो निम्न है–** 1. Tribal Livelihood Development Program (TLDP) परियोजना प्रस्ताव समर्पित की गई है, जिसकी अवधि 3 वर्षों की होगी। (परियोजना प्रस्ताव संलग्न) प्रस्तावित परियोजना Tribal Livelihood Development Program (TLDP) की कुल लागत राशि रू० 144.33 करोड़ (एक सौ चौवालिस करोड़ तैंतीस लाख) रूपये है। अतः प्रत्येक वर्ष लगभग 48.11 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी, जिसका व्यय राज्य योजना मद Tribal Livelihood Development Program (TLDP)/ अनजातीय आजीविका विकास कार्यक्रम–(2225) शीर्ष के अंतर्गत अनुदान / Grant से किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन झारखण्ड ट्राईवल डेवलपमेंट सोसाईटी, रॉची के माध्यम से राज्य के 14 TSP जिले के आदिवासी बहुल चिन्हित प्रखंडों में किया जाएगा। 2. Jharkhand Tribal Empowerment and	परियोजना प्रस्तावों पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुरोध पत्र विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

	Livelihoods Project (JTELP-Phase-II) परियोजना प्रस्ताव समर्पित की गई है, जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी। (परियोजना प्रस्ताव संलग्न) प्रस्तावित परियोजना जिसकी कुल लागत रू॰1800.32 करोड़ है उसमें ऋण/अनुदान की राशि–रू॰1260.22 करोड़ (70%) राज्यांश रू॰360.06 करोड़ (20%), लाभुक अंशदान रू॰49.72 करोड़ (2.76%) तथा Convergence से रू॰130.30 करोड़ (7.24%) अनुमानित है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुल बजट का 20% (रू॰360.06 करोड़) राशि अपने राजकोष से तथा शेष 70% राशि World Bank ऋण (Soft loan)/अनुदान (Grant in Aid) स्वरूप उपलब्ध करायेगी। स्वीकृति के क्रम में इस राशि में बदलाव भी संभव है। प्रस्तावित योजना का प्रारंभिक योजना प्रस्ताव (PPR) आर्थिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरांत भेजा जाना है। प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा World Bank को JTELP-II क्रियान्वयन हेतु पत्र भेजा गया था, जिसके उपरांत World Bank की तीन सदस्यीय दल ने दिनांक–10 से 11 जून,2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं राज्य परियोजना निदेशक, जे.टी.डी.एस. से भेंट वार्त्ता किया एवं JTELP-II पर चर्चा की गई। तदोपरांत JTDS, SPMU कार्यालय में बैठक एवं राँची जिला अंतर्गत बुण्डू प्रखंड के ओमनबुरू (PVTG बहुल गाँव) का भ्रमण किया एवं JTELP-I के दौरान JTDS द्वारा Implement किए गए कार्यों का अवलोकन किया एवं PVTG/ जनजातीय समुदाय के साथ वार्त्ता किया।	
6.	**NABARD द्वारा JTDS को आवंटित किए जाने वाले/ प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा।** दिनांक–23.05.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय/आदेश के आलोक में NABARD के कार्यों/ योजनाओं को JTDS के माध्यम से कार्य कराया जाने पर कार्रवाई की जा रही है।	निदेश दिया गया कि नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं जिनका क्रियान्वयन JTDS द्वारा किया जा रहा है, की सूचना विभाग को भी दी जाय।

	ज्ञात हो कि उक्त के परिपेक्ष्य में तत्कालीन विभागीय सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा NABARD को पत्र प्रेषित की गई है। वर्त्तमान में NABARD द्वारा चार जिलों यथा गुमला, सिमडेगा, लातेहार एवं गोड्डा में Farmer Producer Organisation (FPO) का कार्य चल रहा है। यह योजना 3 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जाना है एवं 10 जिलों के FPO हेतु प्रस्ताव NABARD में समर्पित है। इसके साथ–साथ JTDS के द्वारा WADI MODEL हेतु साहेबगंज जिला का प्रस्ताव भी समर्पित किया गया है। Livelihood Enterprises Development Programme (LEDP) हेतु नाबार्ड के साथ आयोजित बैठक के उपरांत तीन Cluster में कार्य करने प्रस्ताव समर्पित किया जाना है, जो निम्नवत् है – 1. राँची, खूँटी एवं लोहरदगा। 2. पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावाँ। 3. जामताड़ा, दुमका एवं पाकुड़।	
7.	JTDS **को कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं के अनुश्रवण हेतु Monitoring** Agency **नामित करने के संबंध में।** विभाग द्वारा जनजातीय एवं PVTGs समुदाय हेतु क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यों यथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY), PVTG हेतु PM JANMAN तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु JTDS को विभाग की Nodal Monitoring Agency के तौर पर नामित करने का प्रस्ताव है। (दिनांक–12.08.2024 को निदेशक मंडल की बैठक में लिए गये निर्णय के संदर्भ में)	निदेश दिया गया कि JTDS द्वारा योजना प्रस्ताव बनाकर विभाग को अनुमोदनार्थ समर्पित किया जाए।
8.	**श्रीमती संचिता मुखोपाध्याय, पूर्व योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, JTDS, DPMU, खूँटी के सेवा समाप्ति (दिनांक–29/11/2018) उपरांत उनके द्वारा**	सूचना निदेशक मंडल को दी गई। माननीय न्यायालय के आदेश एवं सेवा समाप्ति संबंधी आदेश का

	दायर वाद संख्या– W.P.(S) No.3898/2019 के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–30/07/2025 पर विचार के संबंध में। श्रीमती संचिता मुखोपाध्याय, सम्प्रति पूर्व योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, JTDS, DPMU, खूँटी की सेवा–अनुबंध दिनांक–29/11/2018 को समाप्त की दी गई थी, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Writ Petition संख्या–W.P.(S) No.3898/2019 दायर किया गया था। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–30/07/2025 को आदेश पारित किया गया है। "Under the circumstances and in view of the law laid down by the Hon"ble Supreme Court, the order dated 29.11.2018 passed by the State Project Director, Jharkhand Tribal Development Society (Respondent No.4) is set aside and the matter is remitted before the respondent authority to pass fresh order, in accordance with law and hence the petitioner is directed to be reinstated in service forthwith, in the meantime." पारित आदेश के आलोक में श्रीमती संचिता मुखोपाध्याय द्वारा दिनांक–21/08/2025 को JTDS, SPMU कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। न्यायादेश के आलोक में श्रीमती संचिता मुखोपाध्याय को पत्रांक–JTDS/1215/2025/278 दिनांक–23/09/2025 के द्वारा Reinstate किया गया है। निदेशक मंडल को सूचनार्थ।	अध्ययन कर अग्रेतर न्यायोचित कार्रवाई हेतु राज्य परियोजना निदेशक को निदेशित किया गया।

9.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से। (क) विधिक मामले को निदेशक मंडल की बैठक में न लाने के संबंध में।	निदेश दिया गया कि विधिक मामले को निदेशक मंडल की बैठक में न लाकर अलग से संचिका में प्रस्तुत किया जाय।

अंत में राज्य परियोजना निदेशक, जे॰टी॰डी॰एस॰ –सह– सदस्य सचिव, जे॰टी॰डी॰एस॰ निदेशक मंडल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

25/9/2025

(नेलसम एयोन बागे)
राज्य परियोजना निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, जे॰टी॰डी॰एस॰ निदेशक मंडल

(कृपा नन्द झा)
अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ निदेशक मंडल
–सह–
सचिव, अनु0 जनजाति, अनु0 जाति,
अल्पसंख्यक एवं पि0 वर्ग कल्याण
विभाग, झारखण्ड सरकार ।

ज्ञापांक JTDS/839/2025/286 **राँची, दिनांक** 06/10/2025

प्रतिलिपि : सभी संबंधित / निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/2025

(नेलसम एयोन बागे)
सदस्य सचिव, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल
–सह–
राज्य परियोजना निदेशक ।